ग्राम पंचायत खैरियाँ विकास खण्ड देहरा जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना (क):—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत खैरियाँ, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत खैरियां में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे:—

प्रधान :—

1	श्रीमति रेणू देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

1	श्री संदीप गुलेरिया	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत खैरियाँ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना ।	0.01
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	14.41
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.37
4	8	रॉयल्टी की वसूली न करना ।	0.51
5	10	निर्माण सामग्री के क्रय में अधिक भुगतान करना ।	0.05

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :—

ग्राम पंचायत खैरियाँ, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.2024 से 22.05.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022—2023	09 / 2022	04 / 2022
2023—2024	05 / 2023	07 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :– इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत खैरियां, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 213 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 035180 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत खैरियाँ, विकास खण्ड देहरा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत खैरियाँ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022—23	627556	20973	17004	665533	55095	610438
2023—24	610438	49200	18898	678536	16847	661689

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत खैरियाँ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2022—23	3616334.87	3348582.00	80406.00	7045322.87	4339987.18	2705335.69
2023—24	2705335.69	1694395.00	66698.00	4466428.69	3025763.78	1440664.91

बैंक समाधान विवरणी :—

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,SDP,MPLAD,Relief

A/c No. 20008005445	KCCB Dehra	661930
A/c No. 5005572482	KCCB Dehra	153490.91
A/c No. 5005572437	KCCB Dehra	146138
A/c No.5005572302	KCCB Dehra	71301
A/C No. 5005572584	KCCB Dehra	22117
A/C No. 5005572404	KCCB Dehra	12953
A/c No. 5010035818714	HDFC Dehra	1034838.7
A/c No 5010036398493	HDFC Dehra	771.3
cash in hand		245
	Total	**2103784.91**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		661689
Cash Book Balance on 31.03.2024		153490.91
Cash Book Balance on 31.03.2024		71101
Cash Book Balance on 31.03.2024		26.3
Cash Book Balance on 31.03.2024		1034838.7
Cash Book Balance on 31.03.2024		22117
Cash Book Balance on 31.03.2024		12953
Cash Book Balance on 31.03.2024		146138
	Total	**2102353.91**
	diffrence	**-1431**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹1431/— का अन्तर पाया जाना :—

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹1431/– पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 214 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 215 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता

क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 6,61,689/–की राशि शेष थी जोकि अंकेक्षणावधि के दौरान कृत व्यय की तुलना में कहीं अधिक थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 216 दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹ 14.41 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 14,40,665/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे है।

शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण

सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.37 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें एवं हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03. 2024 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व सम्पत्ति कर ₹ 37,200/– वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	26550	27750	54300	5250	49050
2023–2024	49050	28750	77800	40600	37200

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217 दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹37,200/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) की अनुपालना में सम्पत्तिकर को परादेय (outstanding) रखने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की राशि ₹6,600/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹4,000/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ।**
1	2022–23	1600.00
2	2023–24	2400.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218 दिनांक 22.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रापत की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹ 0.51 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानिः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹50,866/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 219 दिनांक 22.05.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं

है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात ही किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 50,866/– के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिटिक टन	रायल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 व 2023–24	रेत	3660	103.65	1.62	167.91	80	13433.00
	बजरी	3660	103.65	1.52	157.54	80	12603.00
	बोल्डर	2726	77.20	2.24	172.92	80	13834.00
	ईंट	16450				@0.05	823.00
						कुल :	**40693.00**
					पैनल्टी 25 %		10173.00
					कुल योगः		**50866.00**

9. आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 C के अनुसार ₹973/– की TDS कटौती न करने बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹ 100000/– या अधिक की अदायगी

अथवा एक बार में ₹30000/– से अधिक की अदायगी की जाती है तो आहरण व संवितरण अधिकारी ठेकेदार के बिल से आय स्त्रोत पर व्यक्ति की दशा में 1 प्रतिशत व फर्म की दशा में 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी खाते में समयबद्व तिथि को जमा करवायेगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹97,291/– की राशि का भुगतान जे0सी0बी0 कार्य हेतु किया गया था, जिस हेतु 1 प्रतिशत की दर से ₹973.00 बिल से आय स्त्रोत को नहीं काटने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 220 दिनांक 22.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ₹ 973.00 की राशि प्राप्त करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	मद का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	कार्य का नाम
11, 14.03.2023	बिल नं0 018 दि0 12.08. 23 विजय गुलेरिया	जेसीबी कार्य	49147.00	नि0 पंचाचत घर खैरियाँ 15th FC
22, 27.09.2023	बिल नं0 019 दि0 27.09. 23 विजय गुलेरिया	जेसीबी कार्य	48144.00	नि0 पंचाचत घर खैरियाँ 15th FC
			97291.00	

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पंस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी, जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है, अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 223 दिनांक 22.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 01 दिनांक 22.05.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कुछ कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के हैं व कुछ कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों की माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिये जायेंगे । प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

	2022-23
1	नि0 पक्का रास्ता राकेश के घर से वंशी लाल के घर तक 14th FC
2	नि0 लिंक रोड बॉस के पेड से लेकर चौधरी पंडोरा बस्ती तक VKVNY
3	नि0 कुआं कौशल्या देवी की जमीन में गॉव कोडा गरना 14th FC
4	नि0 सार्वजनिक शौचालय वावा वाजीशाहिब 14th FC
5	नि0 रास्ता पुली से लेकर तेजू राम के घर तक 14th FC
6	नि0 कुआं इन्द्रसिंह के घर के पास MNREGA
	2024–24
1	नि0 लिंक रोड जोगिन्द्र सिंह बग्गा के घर के नजदीक गॉव अमलोह MPLAD
2	नि0 लिंक रोड पुली नजदीक जामुन के पेड से आर्युवैदिक डिस्पैन्सरी Relief
3	नि0 वाटर टैंक प्राईमरी स्कूल पनसाल में MNREGA
4	नि0 रास्त कमल किशोर के घर से नाले तक MNREGA

अतः अंकेक्षणावधि हेतु चयनित माहों के दौरान उक्त कार्यों के सम्बन्ध में मूल्यांकन के बिना किये गये भुगतानों को समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराते हुये अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

क्रम सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग).
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

15. लघु आपित्त विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. निष्कर्ष :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

23 JUL 2024 प्रा0/प्रति0
3590-3594
पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)400/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत खैरियाँ, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

प्रा0/प्रति0

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kherian" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	175.91	386081	1984	388240.91	276154	112086.91
2	VKVNY	119358	206658	2477	328493	149130	179363
3	14TH FC	1463600.3	0	20582	1484182.3	1483411	771.3
4	15TH FC	1319254.66	997736	40717	2357707.66	611064.18	1746643.48
5	Relief	171076	9200	4813	185089	23221	161868
6	SDP	10624	80000	303	90927	28425	62502
7	MPLAD	532246	478512	9530	1020288	578187	442101
8	MNREGA	0	1190395	0	1190395	1190395	0
	Total Rs.	3616334.87	3348582	80406	7045322.87	4339987.18	2705335.69

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kherian" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5 SFC	112086.91	276512	3992	392590.91	239100	153490.91
2	VKVNY	179363	0	2258	181621	110520	71101
3	14TH FC	771.3	0	55	826.3	800	26.3
4	15TH FC	1746643.48	261086	47807	2055536.48	1020697.78	1034838.7
5	Relief	161868	418467	5482	585817	563700	22117
6	SDP	62502	217000	2026	281528	268575	12953
7	MPLAD	442101	89900	5078	537079	390941	146138
8	MNREGA	0	431430	0	431430	431430	0
	Total Rs.	2705335.69	1694395	66698	4466428.69	3025763.78	1440664.91

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,SDP,MPLAD,Relief

A/c No. 20008005445	KCCB Dehra	661930
A/c No. 5005572482	KCCB Dehra	153490.91
A/c No. 5005572437	KCCB Dehra	146138
A/c No.5005572302	KCCB Dehra	71301
A/C No. 5005572584	KCCB Dehra	22117
A/C No. 5005572404	KCCB Dehra	12953
A/c No. 5010035818714	HDFC Dehra	1034838.7
A/c No 5010036398493	HDFC Dehra	771.3
cash in hand		245
	Total	2103784.91

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)	661689
Cash Book Balance on 31.03.2024	153490.91
Cash Book Balance on 31.03.2024	71101
Cash Book Balance on 31.03.2024	26.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	1034838.7
Cash Book Balance on 31.03.2024	22117
Cash Book Balance on 31.03.2024	12953
Cash Book Balance on 31.03.2024	146138
Total	2102353.91
diffrence	-1431

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Kherian
विकास खण्ड देहरा, (हि०प्र०)

Financial Position of Own sources in r/o GP Kherian

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	627556	20973	17004	665533	55095	610438
2023-24	610438	49200	18898	678536	16847	661689

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Kherian
विकास खण्ड [illegible]

परिशिष्ट-2 पैरा संख्या-7 के सन्दर्भ में

Li~~st~~ of outstanding Property tax for the period 2022-23 and 2023-24 GP Kherian Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	26550	27750	54300	5250	49050
2023-24	49050	28750	77800	40600	37200

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Kherian
विकास खण्ड देहरा, (हि०प्र०)

परिशिष्ट-3 पत्र संख्या-8 के सहपत्र (1)

कार्यालय ग्राम पंचायत खैरियाँ विकास खण्ड देहरा 2022-23

क्र.स.	मास	कार्यों का नाम	बिल न. दिनांक	क्रेशर रेता CFT	क्रेशर बजरी 20,40mm CFT	सोलिंग CFT	इंट	राशि	मद
1	अप्रैल 2022	नि.सार्वजनिक शौचालय बाबा बाजी साहिब wn4 Voucher No 3 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 050	------	------	-----	4500	45000	14th F.Com
2	अप्रैल 2022	नि.सार्वजनिक शौचालय बाबा बाजी साहिब wn4 Voucher No 4 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 53	------	-------	------	4500	45000	14th F.Com
3	अप्रैल 2022	नि.सार्वजनिक शौचालय बाबा बाजी साहिब wn4 Voucher No 4 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 55	490	280	------	1000	37995	14th F.Com
4	अप्रैल 2022	नि.रास्ता राकेश के घर से लेकर बंशी लाल के घर तक wn4 Voucher No 06 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 56	420	210	770	------	42346	14th F.Com
5	अप्रैल 2022	नि.रास्ता राज कुमार के घर से ध्वालू नाला तक wn2 Voucher No 08 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 51	210	910	560	------	49698	14th F.Com
6	अप्रैल 2022	नि.रास्ता राज कुमार के घर से ध्वालू नाला तक wn2 Voucher No 09 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 57	280	350	350	------	30447	14th F.Com
7	अप्रैल 2022	नि.रास्ता राज कुमार के घर से ध्वालू नाला तक wn2 Voucher No 10 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 58	710	------	280	------	34993	14th F.Com
8	अप्रैल 2022	नि.कुआँ कौशल्या देवी की जमीन में गाँव कौड़ा गरला wn1 Voucher No 11 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 52	210	------	------	4000	48398	14th F.Com
9	अप्रैल 2022	नि.रास्ता पुली से लेकर तेजू राम के के घर तक wn2 Voucher No 12 dated 07/04/2022	Babita Devi Bill No 49	490	560	490		48645	14th F.Com
			Total	2810	2310	2450	16450	382522	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत Kheriyan
विकास खण्ड देहरा, (हि०प्र०)

कार्यालय ग्राम पंचायत खैरियां विकास खण्ड देहरा 2023-24

क्र.स.	मास	कार्यो का नाम	बिल न. दिनांक	क्रेशर रेता CFT	क्रेशर बजरी 20,40Mm CFT	सोलिंग CFT	ईट	राशि	मद
1	जुलाई 2023	नि.लिंक रोड जोगिन्दर सिंह बग्गा के घर के नजदीक गाँव अमलोह Vocher No 41 dated 01/07/2023	M/s BaggaTilles & Block Works Bill No 110	250	450	276	----	33919	MPLADS
2	जुलाई 2023	रिपेयर रास्ता नजदीक पुली जामुन वृक्ष से लेकर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तक wn2 Vocher No 46 dated 07/07/2023	M/s BaggaTilles & Block Works Bill No 116	600	------	-------	-------	26400	Relief
3	जुलाई 2023	रिपेयर रास्ता नजदीक पुली जामुन वृक्ष से लेकर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तक wn2 Vocher No 47 dated 07/07/2023	M/s BaggaTilles & Block Works Bill No 117	----	900	-------	---------	29610	Relief
			Total	850	1350	276	00	89929	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ....Khenian....
विकास खण्ड देहरा, (हि०प्र०)